

झारखण्ड सरकार  
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

:: अधिसूचना ::

राँची, दिनांक—

संख्या-2/रा0 स्था0-19/10...../रा, उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-126(ii), दिनांक-05.05.18 के आलोक में श्री रविन्द्र गागराई, कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी को अपने कार्यों के अतिरिक्त राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

श्री गागराई के उक्त पद से स्थानांतरण अथवा भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी के पद पर नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण करने, जो भी पहले हो, के उपरांत यह अधिसूचना स्वतः विलोपित समझी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(राम कुमार सिन्हा)  
सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-2/रा0 स्था0-19/10 /रा., राँची, दिनांक—

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/—

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-2/रा0 स्था0-19/10 /रा., राँची, दिनांक—


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले.एवं हक.) झारखण्ड, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-2/रा0 स्था0-19/10 2093/रा., राँची, दिनांक— 16-05-18

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भू-अर्जन सह भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उपायुक्त, खूँटी/जिला कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.5.18

सरकार के संयुक्त सचिव